भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2413
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत वंचित वर्गों के साथ भेदभाव

2413. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में मनरेगा जैसी योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं और गरीब लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के विरुद्ध कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव विरोधी कानूनों के अनुपालन की निगरानी करती है;

(ग) हाशिए पर रहने वाले समूहों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से किए गए आउटरीच कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कमजोर समुदायों , महिलाओं और गरीब लोगों को लक्षित करने वाली सेवा वितरण में सुधार के लिए सामुदायिक प्रतिक्रिया तंत्र किस तरह से काम करेगा?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेस पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) प्रत्येक परिवार के अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान करता है। यह एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और इसमें जाति , धर्म और लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हालांकि , व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों के मामले में, कुछ श्रेणियों जैसे महिला मुखिया वाले परिवार , अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इसके अलावा , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम , 2005 की अनुसूची II पैरा 15 के अनुसार, महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी कि कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं हों जिन्होंने पंजीकरण कराया हो और काम के लिए अनुरोध किया हो। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में (06.12.2024 की स्थिति के अनुसार) पंजाब राज्य में महिलाओं की भागीदारी 69.6% है। पंजाब सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत महिलाओं और गरीबों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। साथ ही, योजना के तहत जमीनी स्तर पर मांग के आधार पर उन्हें काम प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाती है।

(ग): ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को रोजगार दिवस, ग्राम सभा बैठके जैसी पहलों तथा वाल पेंटिंग, पुस्तिकाओं तथा सूचनात्मक जॉब कार्डों जैसे आईईसी कार्यकलापों के माध्यम से जागरूकता के प्रसार के माध्यम से उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है।

(घ) गांवों के लोग अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए ग्राम सभा की बैठकों , प्रोग्रामों/कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और रोजगार दिवस में उनके सामने आने वाली समस्याओं को भी साझा करते हैं , जो हर महीने के अंतिम शुक्रवार को आयोजित किया जाता है। इसके अलावा , महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लाभार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र है , जिसमें (i) सीपीग्राम पोर्टल पर शिकायतों का पंजीकरण, (ii) ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित सामाजिक अंकेक्षण के दौरान शिकायतों को उठाना, (iii) लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करना और (iv) जनमनरेगा ऐप के माध्यम से शिकायतें दर्ज करना आदि शामिल हैं।